न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 135/2022 **G.C.M.S. No. 2022/311** **दर्ज दिनांक : 23.12.2022**

अपीलार्थिगण:

1. कन्हैयालाल पुत्र छोगाराम
2. चम्पालाल पुत्र छोगाराम
3. धापूदेवी पत्नि गणेशराम
4. जिगर पुत्र गणेशराम
5. यमुना पुत्र गणेशराम
6. पानी पत्नि छोगाराम
7. महेन्द्र कुमार पुत्र छोगाराम
8. मोहनलाल पुत्र छोगाराम
9. रमेश कुमार पुत्र छोगाराम, जातिगण कुम्हार, निवासीगण भाटुंद, तहसील बाली व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थी:

1. सुशीलकुमार पुत्र खुमाराम, जाति गारो, निवासी बिसलपुर, तहसील बाली व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण (जीसीएमएस) संख्या 2022/166 सुशीलकुमार बनाम कन्हैयालाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 22.09.2022 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री सुतीक्ष्ण राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 30.10.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण (जीसीएमएस) संख्या 2022/166 सुशीलकुमार बनाम कन्हैयालाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 22.09.2022 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट की ओर से धारा 251–ए के तहत नये रास्ते हेतु एक आवेदन पेश कर ग्राम भाटूंद के खसरा नम्बर 907 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 908 तथा 909 में सांग की, जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया और अपीलाण्ट्स के नाम नोटिस जारी किये गये। पेशी दिनांक 25.07.2022 को अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय की आदेशिका में यह अंकित किया गया कि अप्रार्थीगण अर्थात् अपीलाण्ट ने नोटिस लेने से इन्कार किया गया, जो प्रोपर तामिल की श्रेणी में आती हैं। तत्पश्चात् दिनांक 14.09.2022 को तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होना बताया, साथ ही अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने बाबत् आदेश पारित किया गया एवं पेशी दिनांक 22.09. 2022 को रेस्पोडेण्ट के आवेदन को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलाण्ट की भूमि खसरा नम्बर 908 तथा सरकारी सिवाय चक भूमि खसरा नम्बर 909 में से रास्ता 5 मीटर चौड़ाई का दिये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध उपरोक्त अपील पेश की गई हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को विधिवत कभी भी नोटिस नहीं दिये गये, न ही अपीलाण्ट्स ने नोटिस लेने से इन्कार किये हैं। अपीलाण्ट्स को कभी भी नोटिस नहीं धामे गये। उपरोक्त समस्त कारस्तानी रेस्पोंडेण्ट एवं उनके साथियों ने मिलकर तामिल कुनिन्दा से अवैध रूप से मिलावट कर झूठी रिपोर्ट करवाई है, ताकि अपीलाण्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित कार्यवाही की जानकारी नहीं हों, अपीलाण्ट्स विधिवत रूप से अधीनस्थ न्यायालय में जवाब, आपत्ति पेश करने से वंचित हो जाए और न्यायालय से तथ्यों को छुपाकर एकपक्षीय अवैध आदेश प्राप्त किया जा सके। इसी कड़ी में उपरोक्त समस्त कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय में हुई है। प्राकृतिक न्याय का भी सिद्धान्त है कि प्रत्येक व्यक्ति को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट्स सुनवाई के अवसर से वंचित रहे हैं, इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। इसके साथ ही रेस्पोंडेण्ट की खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु रेस्पोंडेण्ट को अलग से वैकल्पिक रास्ता पहले से ही उपलब्ध है, जिसका उपयोग–उपभोग कर रहा है, धारा 251–ए के तहत् नया रास्ता उसी स्थिति में दिया जा सकता है, जब आवेदक के पास कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हों एवं रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक हों, केवल सुविधा के लिए नया रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में केवल सुविधा के लिए रास्ते हेतु आवेदन पेश किया है, जो आवेदन स्वीकार योग्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त रेस्पोंडेण्ट ने समान आधारों पर, समान अनुतोष हेतु, समान पक्षकारों के रूप में अर्थात् अपीलाण्ट्स के विरूद्ध इसी आशय का धारा 251–ए के तहत नये रास्ते हेतु पूर्व में इसी आशय का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.04.2017 को पेश किया था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया था और उपरोक्त प्रकरण में अपीलाण्ट्स को नोटिस जारी किये गये थें तथा उक्त पत्रावली राजस्व लोग अदालत केम्प कोर्ट भादूंद में दिनांक 19.05.2017 को नियत की गई थीं, जहां पर दोनों पक्षों की उपस्थिति दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कर, दोनों पक्षों को सुनकर, पत्रावली का अवलोकन कर यह निर्णित किया था कि रेस्पोंडेण्ट पक्ष द्वारा उस पत्रावली में नक्शे में दर्शित आसमानी रंग वाले रास्ते का उपयोग किया जा रहा है, अब उक्त 251–ए के प्रार्थना पत्र के माध्यम से नक्शे में लाल रंग से दर्शित अप्रार्थीगण अर्थात् अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि में से नये रास्ते की मांग की जा रही हैं, जो नया रास्ता दिया जाना उचित नहीं होने से मैरिट पर रेस्पोंडेण्ट का उपरोक्त प्रकरण खारिज कर दिया था। इस कारण से धारा 11 सीपीसी रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त अनुसार उपरोक्त प्रकरण सुनने की अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं थीं। रेसज्यूडिकेटा के प्रावधानों अनुसार उक्त अपीलाधीन आदेश किसी भी रूप में पोषणीय नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की जो रिपोर्ट मंगवाई गई हैं, उसमें भी दो रास्ते बताये गये हैं, रेस्पोंडेण्ट द्वारा जो रास्ता चाहा गया है, जो वैकल्पिक खसरा नम्बर 911, 912 में से बताया गया है वह रास्ता अधिक सुविधाजनक है, साथ ही उसमें कोई सरकारी जमीन भी शम्मिलित नहीं हो रही हैं। इसके अलावा भी रेस्पोंडेण्ट की खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु अन्य खसरान से रास्ता उपलब्ध है, जिसका रेस्पोंडेण्ट उपयोग–उपभोग कर रहा है। मौका निरीक्षण से पूर्व अपीलाण्ट्स को न तो कमिश्नर तहसीलदार महोदय अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक महोदय द्वारा कोई नोटिस दिया गया, न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, बिना अपीलाण्ट्स को सूचित किये एकपक्षीय मौका निरीक्षण कर रेस्पोंडेण्ट से मिलावट करते हुए उसकी सुविधा अनुसार रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने कन्सीडर कर विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की हैं। मान. राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के परिपत्र अनुसार उपरोक्ता मौका निरीक्षण रिपोर्ट नहीं पढ़ी जा सकती हैं, एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है, इस कारण भी अपील स्वीकार योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन निम्नानुसार है:–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध ग्राम भाटुंद स्थित खातेदारी आराजी खसरा संख्या 907 तक पहुंच के लिए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया, जिसे

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 22.09.2022 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 23.12.2022 को विलंब के साथ प्रस्तुत की।

2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स की गैर मौजूदगी में हुआ है। जिस कारण अपीलांट को आदेश की जानकारी नहीं हो पाई। जो नकल दिनांक 10.12.2022 को प्राप्त होने से हुई। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में हुआ है। अतः आदेश दिनांक से अपीलांट को इसकी जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती। साथ ही प्रकरण में अल्प विलंब है तथा प्रकरण का निर्णयन गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में मुख्य आक्षेप यह है कि रेस्पोंडेंट द्वारा ही अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स के विरूद्ध ही अपीलाधीन भूमि के संबंध में पूर्व में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 19.05.2017 द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रार्थी रेस्पोंडेंट द्वारा उक्त तथ्य को छुपाते हुए समान परिस्थितियों में हस्तगत पश्चातवर्ती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जोकि रेसज्यूडिकेटा से बाधित है। हमारे विनम्र मत में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा दिनांक 12.04.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में अपनी खातेदारी खसरा संख्या 907 व 917 तक पहुंच के लिए अपीलांट्स अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2017 को लोक अदालत कैम्प भादुंद में आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया तथा उक्त आराजी के संबंध में ही रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251–क के तहत पश्चातवर्ती हस्तगत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.05.2022 को प्रस्तुत किया। अतः स्पष्ट है कि पश्चातवर्ती प्रार्थना पत्र पूर्व में पारित आदेश दिनांक 19.05.2017 से बाधित है। अतः प्रार्थी को पश्चातवर्ती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कानूनन

Scanned with OKEN Scanner

कोई अधिकार नहीं था। अतः अपीलाधीन आदेश पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 19.05.2017 से बाधित होने से पुष्टियोग्य नहीं हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 19.05.2017 से बाधित होने तथा प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 19.05.2017 से बाधित होने तथा प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.10.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner